GUIDELINES AND APPLICATION FORMAT FOR

Registration of political parties under Section 29A of the Representation

of the People Act, 1951

(Please read the guidelines carefully)

For the purpose of registration of any association or body of individual citizens of

India as a political party, the association or body is required to make an application

(Format at Annexure-I) to the Election Commission of India giving therein full

particulars required under sub-section (4) of Section 29A of the Representation of the

People Act, 1951 and additional particulars required under the Registration of Political

Parties (Furnishing of Additional Particulars) Order, 1992, separately.

2. The application should be neatly typed on the partygs letter-head, if any, and it

should be sent by registered post/presented personally to the Secretary to the Election

Commission within 30 days following the date of the formation of the party. Any

application made after the said period will be time-barred under the provisions of

Section 29A(2)(b) of the Representation of the People Act, 1951. All pages of the

application including annexure should be (page) numbered in continuation.

3. The application must be accompanied by the following documents/information:-

(i) Party Constitution drawn on following lines:

Article I: Name of the Party

(Should not contain religion or caste)

Article II: Objectives of the Party

(Should be in consonance with the Constitution of India)

Article III: Membership of the Party

(Open to all adult Indian citizens)

Article IV: Organs of the Party (Organizational Structure)

Powers and Functions of each of these organs

(Decision making power should reflect democratic spirit ó no veto

power)

Method of appointment (and terms) of members to each of these

<u>organs</u>

1

(Not more than $1/3^{rd}$ members can be nominated; Tenure should be fixed not exceeding 5 years; Periodic elections within 5 years maximum)

Article V: Office-bearers of the Party

Powers and functions of <u>each of these office-bearers</u> (Decision making power should reflect democratic spirit ó no veto power)

Method of appointment (and terms) of <u>each of these office-bearers</u> (Should be elected; Not more than $1/3^{rd}$ can be nominated; Fixed tenure not exceeding 5 years for everyone; Periodic elections within 5 years maximum)

Article VI: Rules of Dispute Resolution & Discipline

Article VII: Basics of Rules of Conduct of Business

Decision making process; Meetings ó quorum, notice and decision

making etc.;

(Details can be annexed separately)

Article VIII: Party Funds & Accounts

Party funds to be utilized for political activities; Accounts to be maintained on accrual system; To be annually audited by Auditor on the panel of CAG; Audited annual accounts to be submitted to

the ECI within 6 months of the end of financial year.

(Details can be annexed separately)

Article IX: Party Constitution & Amendment Procedure

Article X: Merger, Split and Dissolution Procedure

Article XI: Mandatory Provision under Section 29A (5) of RP Act, 1951.

- (ii) A <u>CHECKLIST</u>, with clear answer against each item therein, may be submitted with application (Annexure-II). The relevant page no. of application, where the details of the particular item in checklist can be verified, must be indicated by you.
- (iii) A <u>Demand Draft of Rs. 10,000/-</u> (Rupees Ten Thousand only) on account of <u>processing fee</u> drawn in favour of <u>the Under Secretary, Election Commission of India, New Delhi</u>. It may be noted that <u>the processing fee is non-refundable</u>.
- (iv) A neatly typed/printed copy of the memorandum/rules and bye-laws/Constitution of the Party containing a specific provision as required under sub-section (5) of Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 in the exact terms,

which reads õí í í ...í í í í í í í í í í í ö (*Name of the party*) shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and to the principles of socialism, secularism and democracy and would uphold the sovereignty, unity and integrity of Indiaö. The above mandatory provision must be included in the text of party constitution itself as one of the clauses. As per provision to sub-section (7) of the said Section 29A of the Representation of the People Act, 1951, no association or body shall be registered as a political party unless the memorandum, rules and regulations or the constitution of such association or body conform to the above referred provision of sub-section (5) of Section 29A.

- (v) There should be a specific provision in the rules/Constitution of the party regarding internal democracy in the party, organisational elections at different levels, mode of such elections and the periodicity of such elections, term of office of the office-bearers and powers and duties of the office-bearers of the party, and the various representative bodies of the party (such as Executive Committee, Council etc.)
- (vi) Besides these particulars, procedure to be followed in the case of merger/dissolution of the Association, amendment in Party Constitution and disciplinary action against erring members of the party should be provided in the bye-laws. There should be clear provision in the party constitution about membership of the party. There should not be any discrimination in the matter of membership.
- (vii) Extracts from the <u>latest electoral rolls</u> in respect of atleast 100 members of the organisation (including all office-bearers/members of main decision making organs like Executive Committee/Executive Council) <u>duly certified</u> by the <u>Electoral Registration Officer</u> of <u>concerned assembly constituency</u> to show that they are registered electors. Alternatively, photocopies of Elector Photo Identity Cards (EPICs) of the members duly attested by a Gazetted officer or Notary should be submitted.
- (viii) An affidavit duly signed by the President/General Secretary of the applicant party and sworn before a 1st class Magistrate/Oath Commissioner/Notary Public to the effect that no member of the organisation is a member of any other political party registered with the Commission (Specimen of affidavit at Annexure-III).

- (ix) <u>Individual affidavits</u> from <u>atleast 100 members</u> of the party to the effect that <u>the said member is a registered elector and that he is not a member of any other political party registered with the Commission</u>. These affidavits should be on Stamp Paper of atleast Rs. 2/- denomination and duly sworn before a 1st class Magistrate/Oath Commissioner/Notary Public. These affidavits should be from those persons in respect of whom certified extracts of electoral rolls or EPICs are being furnished as mentioned in Para (v) <u>(Specimen of affidavit at Annexure-IV)</u>.
- (x) A list of office bearers and members of the party mentioned in (vi) and (viii) above, should be submitted and the certified copy of electoral rolls or EPICs and individual affidavits should be enclosed as per the sequence of the list.
- (xi) Particulars of Bank account and Permanent Account Number (PAN), if any, in the name of the party should be furnished.
- (xii) The applicant party has to produce a 'No Objection Certificate', in the form of an affidavit on stamp paper, from the owner of the premises where the party office is situated with certified copies of tangible proof, such as House Tax Receipt or Registry papers, etc., of ownership of the premises.
- (xiii) The applicant has to attach a 'No Objection Certificate' from the Local Body, Municipal Corporation etc. to the effect that there is no prohibition under the rules and regulations of the authority to set up political party office in that building where the party office is situated.
- (xiv) Separate Affidavits from the office bearers of the main organs of the applicant party in respect of their Assets and Liabilities have to be furnished. (Format enclosed at <u>Annexure-V</u>).
- (xv) The office bearers of the applicant party have to furnish a copy of their Income Tax Returns filed for the last three years, if they are Income Tax payees. In case any office bearer is not Income Tax payee he/she has to furnish **certified** details of his/her monthly income along with source of income.
- (xvi) The details of PAN Card have to be furnished in respect of office bearers of the party.
- (xvii) Affidavits from the office bearers of the main organs of the applicant party showing information about their criminal antecedents have to be furnished in affidavit form. (Format enclosed at **Annexure-VI**).

- (xviii) The applicant party must submit authenticated proof to show that the party constitution has been adopted by the General Body of the party.
- (xix) The applicant party must declare in its constitution that it shall submit its audited annual financial statement to the Commission within a period of 60 days after the end of each financial year.
- (xx) The applicant party must ensure in its constitution itself, vide a specific clause in the party constitution that the party will not, in any manner, promote or instigate or participate in violence.
- (xxi) The applicant party must ensure in its constitution itself vide a specific clause in the party constitution that party will hold periodic (Period to be specified in constitution but at least once in 4 years) and regular election to all positions of office-bearers and organs of the party.
- (xxii) The applicant party must ensure in its constitution itself vide a specific clause in the party constitution that any amendment to the constitution must be approved by the General Body of the party.
- (xxiii) The party must declare in its constitution that it must contest an election conducted by the Election Commission within 5 years of its registration. (*If the Party does not contest elections continuously for 6 years, the Party shall be taken off the list of registered parties*).
- 4. It is advised to ensure that the application is complete in all respects as per the CHECKLIST enclosed at <u>Annexure-II</u>. If any requisite information has not been furnished by you or wrongly furnished with your application (as per the CHECKLIST), it may not be possible to consider the application. Therefore, it is advised that the CHECKLIST may be filled carefully and submit alongwith application.
- 5. The application alongwith all the required particulars/documents mentioned above <u>must</u> be <u>made</u> to the <u>Commission</u> within 30 days following the date of the <u>formation of the party</u>. Any application made after the said period will be <u>time-barred</u> under the provisions of Section 29A(2)(b) of the Representation of the People Act, 1951 and will not be considered.
- 6. Within 2 weeks of receipt of your duly completed application you will receive an acknowledgement of your application from the Election Commission guiding you on future course of action.

PROFORMA OF APPLICATION FOR REGISTRATION AS A POLITICAL PARTY UNDER SECTION 29A OF THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951.

To

The Secretary Election Commission of India, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi ó 110 001.

Sir,

(*Name of the applicant party*) may be registered as a political party under section 29A of the Representation of the People Act, 1951. The particulars required under sub-section (4) of the said Section 29A and additional particulars required under para 2 of the Registration of Political Parties (Furnishing of Additional Particulars) Order, 1992 are furnished as under:-

- 1. Particulars required under sub-section (4) of Section 29A of the Representation of the People Act, 1951.
- (a) the Name of the Association or Body
- (b) the State in which its head office is situated:
- (c) the address to which letters and other communications meant for it should be sent:
- (d) the names of its President, Secretary, Treasurer and other office-bearers:
- (e) the numerical strength of its members, and if there are categories of its member, the numerical strength in each category:
- (f) whether it has any local units; if so, at what levels:
- (g) whether it is represented by any member or members in either House of Parliament or of any State Legislature; if so, the number of such member or members:
- (h) Date of formation of the Association or Body:

	Iditional Particulars required under para.2 of the Registration of Political Parties ag of Additional Particulars) Order, 1992.
(a)	the principles on which the Association or Body is based :
(b)	the policies, aims and objects it pursues or seeks to pursue:
(c)	its programme, functions and activities for the purpose of carrying out its principles, policies, aims and objects:
(d)	the names of the main organs (by whatever name called) of the association or body, their functions and the names of the Chairman (by whatever name called), and other members of such organs:
(e)	the relationship of the Association or Body with the electors and the popular support it enjoys, along with tangible proof, if any, of such relationship and support:
	aly completed CHECK LIST alongwith requisite documents prescribed therein enclosed herewith.
Date:	Yours faithfully,
	Signature:
	Name: Designation: (General Secretary/Chairman
	/President of the party) Seal of the party:
	car of the party.

CHECK LIST TO BE FILED AND ATTACHED WITH APPLICATION FOR REGISTRATION OF POLITICAL PARTY UNDER SECTION 29A OF THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951.

The application should contain the following particulars/documents. Applicant must indicate against each of the items in CHECKLIST whether the item has been complied with or not. None of the items should be left. Application with incomplete CHECKLIST will be summarily rejected:-

Sl. No.	Item	Applicant Remarks		
1.	Has the Name of the applicant Party/Organisation been given clearly? The name should be clearly different from the name of existing parties. Also, no part of the name should have any religious, communal or cast connotation.	Yes/No		
2.	Has the date of formation of the party been indicated both in figures and words? (Documents/evidence relating to formation of the party should be furnished.)	Yes/No		
3.	Has the application to the Commission been made within 30 days following the date of formation of the party?	Yes/No		
4.	Has the Demand Draft of Rs.10,000/- on account of processing fee been enclosed with the application? (The Demand Draft should be in favour of Under Secretary, Election Commission of India payable at Delhi. Applications received without the processing fee alongwith the application will not be taken up for scrutiny.)	Yes/No		
5.	Have the following particulars required under Section 29A (4) of the Representation of the People Act, 1951been provided in the application?			
	(a) the Name of the association or body;	Yes/No		
	(b) the State in which its head office is situated;	Yes/No		
	(c) the address to which letters and other communications meant for it should be sent;	Yes/No		

	(d) the names of its President, Secretary, Treasure and other office-bearers;	Yes/No	Reference page No.
	(e) the numerical strength of its members, and if there are categories of its member, the numerical strength in each category;	Yes/No	
	(f) whether it has any local units; is so, at what levels;	Yes/No	
	(g) whether it is represented by any member or members in either House of Parliament or of any State Legislature; if so, the number of such member or members;	Yes/No	
6.	Have the following additional particulars required under Para 2 of the Registration of Political Parties (Furnishing of Additional Particulars) Order, 1992 been provided separately with the application?		
	(a) the principles on which the association or body is based;	Yes/No	
	(b) the policies, aims and objects it pursues or seeks to pursue;	Yes/No	
	(c) its program, functions and activities for the purpose of carrying out its principles, policies, aims and objects;	Yes/No	
	(d) the names of the main organs (by whatever name called) of the association or body, their functions and the names of the Chairman (by whatever name called), and other members of such organs;	Yes/No	
	(e) the relationship of the Association or Body with the electors and the popular support it enjoys, along with tangible proof, if any, of such relationship and support.	Yes/No	
	(None of the above items should be left blank even if some of the details are provided in the party constitution)		

7.	Has the chief Executive of the party signed the application and the party constitution?	Yes/No	Reference page No.
8.	Has the affidavit by President/General Secretary of the organization, duly sworn before a 1 st Class Magistrate/Oath Commissioner, affirming that <u>no member of the party is a member of any other political party already registered with the Commission, and that no proclaimed absconder is a member of the party and that all the members who have sworn affidavit as members of the party have appended their own signature/T.I. before the Notary who attested the affidavit, been submitted?</u>	Yes/No	
9.	Has the total number of Members of the party been indicated (both in figures and words)?	Yes/No	
10	Have certified extracts of electoral rolls in respect of at least 100 members (including office bearers/members/Executive Committee) been furnished? (The extract should be certified by the ERO concerned. Alternatively, photocopies of EPICs of the members duly attested by a Gazetted officer or Notary should be submitted.)	Yes/No	
11	Have individual affidavits on stamp paper of at least Rs. 2/- denomination and duly sworn before a 1 st Class Magistrate/Oath Commissioner /Notary Public from the aforesaid 100 members of the organization been furnished? (In the affidavits the members should affirm that (i) he/she is a member of the applicant party (name of the party should be mentioned) (ii) he/she is a registered elector in a particular constituency (name of the Constituency to be given) and (iii) he/she is not a member of any other political party registered with the Commission or whose application for registration with the commission is pending disposal).	Yes/No	
12	Has a list of office bearers and members been furnished and the certified copy of electoral rolls or EPICs and individual affidavits enclosed as per the sequence of the list.	Yes/No	
13	Has a copy of the party constitution with all details and provisions regarding the administrative set-up and functioning of the party on democratic basis been enclosed with application? Especially check the following:- (i) Whether the constitution has been adopted by General Body and some authenticated documentary proof enclosed?	Yes/No	

	(ii) Whether the constitution provides for-		Reference page No.
	(a) Periodic regular election to all offices & office bearers	Yes/No	
	(b) Declares democracy, socialism & secularism as its basic tenets.	Yes/No	
	(c) Declares that party will not, in any manner, promote or instigate or participate in violence;	Yes/No	
	(d) Declares that party will hold periodic (period to be specified in constitution but at least once in 4 years) elections to all positions of office bearers and organs of the party;	Yes/No	
	(e) Declares that party must contest an election conducted by the Election Commission within five years of its registration and thereafter should continue to contest. (if the party does not contest elections continuously for six years the party will be taken off the list of registered parties;)	Yes/No	
	(f) Declares that party must get its account audited during each financial year by a Chartered Accountant and submit its copy to the Election Commission within a period of 60 days after the end of each financial year.	Yes/No	
	Has the Chief Executive of the party authenticated the party constitution on each page with his full signature and the seal of the party affixed thereon?	Yes/No	
15	Has the mandatory provision as in section 29A (5) of the Representation of the People Act, 1951 that 'the party shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and to the principles of socialism, secularism and democracy and would uphold the sovereignty, unity and integrity of India' been provided in the text of the party constitution in these exact wordings?	Yes/No	
16	Have the names of all main organs (committees, councils, etc. of the party) and all office bearers of the said organs been furnished.	Yes/No	

17	Have functions and powers of <u>each organ</u> of the party and <u>office-bearers</u> been given? (Even if some of the organs have not been constituted at the time of submission of the application, the party Constitution should cover all organs).	Yes/No	Reference page No.
18	Has it been specifically provided in the Party Constitution that only Indian Citizen who have attained the age of 18 years are eligible to be members of the party. There should be no restrictions on the membership of the party, and party membership should be open to any adult Indian Citizen.	Yes/No	
19	Have explicit and clear provisions regarding organizational elections at different levels and term of office (normally not exceeding 4 years) of various committees/office bearers been provided in the party constitution? There should be clear provisions to show that all apex level committees and representative bodies of the Party are constituted though democratic election process. Nomination of members of such bodies, if at all provided, should be restricted to a minimum scale, not exceeding $1/3^{rd}$ of the strength of the Committee/Body.	Yes/No	
20	Has clear provision been provided to the effect that election process to various offices of the party is democratic (No office should be hereditary or held permanently?)	Yes/No	
	Dose the Party constitution also clearly show that the functioning of the party is democratic?	Yes/No	
	Is decision making process by way of majority views of the representative bodies of appropriate level?	Yes/No	
21	Has the procedure for merger and dissolution of the party been provided in the constitution? (Such important decisions should be taken with consultation at all levels of the party. The provisions should be clear in this regard.)	Yes/No	
22	Does the party constitution have a specific clause that any amendment to the Constitution must be approved by the General Body of the party		
23	Has the procedure of disciplinary action against the erring members been given in the constitution?	Yes/No	

24	Have the particulars of Bank Account and PAN, <u>if any</u> , in the name of the party been supplied?	Yes/No	Reference page No.
25	Has no objection certificate from the owner of the house/premises where the party office is situated been furnished with certified copies of tangible proof of ownership of the premises such as House Tax Receipt or Registry Papers.	Yes/No	
26	Has a no objection certificate from the Local Body, Municipality, Municipal Corporation etc. to the effect that there is no prohibition under the rules and regulations of the authority to set up political party office in that building/premises where the party office is situated been furnished?	Yes/No	
27	Has the provision for valid meetings of the various Committees, councils and other representative bodies of the party, that the quorum should be minimum of $1/3^{\rm rd}$ members of the Committee/Council/Body, been provided in the Party Constitution?	Yes/No	
28	Have the separate affidavits from the office bearers of the main organs of the applicant party in respect of their assets and liabilities, been furnished?	Yes/No	
29	Have the office bearers of the applicant party furnished a copy of the Income Tax Returns filed for the last three years, if they are Income Tax payees.	Yes/No	
30	If they are not Income Tax payee, has he/she furnished certified details of his/her monthly income alongwith source of income.	Yes/No	
31	Have the details of PAN Card in respect of office bearers of the party been furnished?	Yes/No	
32	Have the affidavits from the office bearers of the main organs of the party showing information about their criminal antecedents been furnished in affidavit form?	Yes/No	

N.B. [Applications containing all particulars/documents as per the CHECK LIST, will be processed and the applicant called for a personal hearing within a reasonable period of 2 to 3 months from the date of receipt of complete application. In case no reply/response is received from the Commission till that period, the applicant is advised to contact the Commission Secretariat.]

Annexure-III

Specimen of Affidavit to be signed by the President or General Secretary of the party to be sworn before a 1st Class Magistrate/Oath Commissioner/Notary Public.

I	[(Deponent) Son/Daughter of Shri		
re	esident of	do hereby solemnly	
affirm ar	nd state as follows:-		
1.	that I am President/General Secretary of the		
	(Please mention the Name of th	e applicant party).	
2.	that no member of the party is a member of any other p	olitical party registered	
	with the Election Commission of India.		
3.	I declare that the above facts are true and correct to the	best of my knowledge	
	and belief.		
		(Deponent)	

Specimen of Individual Affidavit in r/o at least 100 members (including all office bearers) of the party to be sworn before a 1st Class Magistrate/Oath Commissioner/Notary Public.

I	(Deponent) Son/Daug	ghter of Shri
1	resident of	do hereby solemnly
affirm a	and state as follows:-	
1.	that I am a member of the	(Please mention the Name
	of the applicant party).	
2.	that I am a registered elector in	Assembly
	Constituency (Please give the Sl. No. and N	Jame of the Assembly
	Constituency)	
3.	that I am not a member of any other politica	al party registered with the Election
	Commission of India.	
4.	I declare that the above facts are true and co	orrect to the best of my knowledge
	and belief.	
		(Deponent)

Registration of political party under Section 29A of the Representation of People Act, 1951

(Affidavit to be furnished by the office bearers (President, Vice-President, General Secretary, Treasurer) of the applicant party regarding assets and liabilities.)

	years, resident of, son/daughter/wife of,
holding	g the office of(mention the name of office) of the(mention the name of the political party), do
•	solemnly affirm and state on oath as under:- out whichever not applicable)
` '	That the details of the assets (immovable, movable, bank balance, etc.) of myself, ouse and dependents* are given below:
A.	Details of movable assets. (Value)
(Assets	s in joint name indicating the extent of joint ownership will also have to be given)

	T · ·	G 10	- ()		- 1 a	- 1 a
S.	Description	Self	Spouse(s)	Dependent-1	Dependent-2	Dependent-3,
No.			Name(s):	Name:	Name:	Etc.
						Name:
(i)	Cash					
(ii)	Deposits in					
	Banks,					
	Financial					
	Institutions and					
	Non-Banking					
	Financial					
	Companies					
(iii)	Bonds,					
	Debentures and					
	Shares in					
	companies					
(iv)	Other Financial					
	instruments					
	NSS, Postal					
	Savings, LIC,					
	Policies, etc.					
(v)	Motor Vehicles					
	(details of					
	make, etc.)					

(vi)	Jewellery (give details of weight and value)			
(vii)	Other assets, such as values of claims / interests			

Note: Value of Bonds / Shares / Debentures as per the latest market value in Stock Exchange in respect of listed companies and as per books in the case of non listed companies should be given.

B. Details of Immovable assets

[Note: Properties in joint ownership indicating the extent of joint ownership will also have to be indicated]

S. No	Description	Self	Spouse(s) Name(s) :	Dependent -1 Name:	Dependent -2 Name:	Dependent- 3, Etc. Name:
(i)	- Location(s) - Survey number(s) - Extent (Total measurement) - current market value					
(ii)	Non-Agricultural Land - Location(s) - Survey number(s) - Extent (Total measurement) - current market value					
(iii)	Buildings (commercial and residential) - Location(s) - Survey / door number(s) - Extent (Total measurement) - current market value					
(iv)	Houses / Apartments, etc.	·				

^{*}Dependent here means a person substantially dependents on the income of the candidate.

	- Location(s) - Survey / door number(s) - Extent (Total measurement) - current market value			
(v)	Others (such as interest in property)			

3) I give herein below the details of my liabilities / over dues to public financial institutions and government dues :-

[Note: Please give separate details for each item]

S.No.	Description	Name and address of Bank / Financial Institution(s) / Department(s)	
(a) (i)	Loans from Banks		
(ii)	Loans from financial institutions		
(iii)	Government dues:- (a) dues to departme	ante	
	dealing with governm accommodation		
	(b) dues to department dealing with supply water		
	(c) dues to department dealing with supply electricity		
	(d) dues to departme dealing with telephones	ents	

	(e) dues to department dealing with government transport (includation aircrafts and helicopters) (f) other dues, if any	ent ing			
S.No.	Description	Fin	me and address of Bar ancial Institution(s) partment(s)	nk / /	Amount outstanding as on í í í í í í .
(b) (i)	PAN number				
(ii)	Income Tax Return for last assessment year				
(iii)	Wealth Tax Return for last assessment year				
(iv)	Sales Tax Return for last financial year [Only in case of proprietary business]				
(v)	Property Tax for last financial year				
	<u> </u>				<u> </u>
	<u>7</u>	VER	<u>IFICATION</u>		DEPONENT
I, the	deponent above named, do	here	by verify and declare	that	the contents of this
affidav	vit are true and correct to the b	oest (of my knowledge and b	elie	f; no part of it is false
and no	othing material has been conce	aled	therefrom.		
Verifie	ed at this the _		day of,	20	<u>-</u> -
					DEPONENT

Registration of political party under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951

(Affidavit to be furnished by the office bearers (President, Vice-President, General Secretary, Treasurer) of the applicant party regarding criminal background)

Ι,	, son/daughter/wife of
aged	years, resident of,
holding the	office of(mention the name of office) of the
	(mention the name of the political party), do
	nnly affirm and state on oath as under:-
(Strike out w	whichever not applicable)
(1) I	have not been convicted by any court of law for any offence
OR	
_	have been convicted in the following cases as per details below:-
(i)	Case/First information report No./Nos. í í í í í í í í í í í í í í í í í í í
(ii)	Court(s) which passed the order of conviction i i i i i i i i i i i
(iii) (iv)	Police station(s) í í í í í District (s) í í í State(s)í í í í Section(s) of the concerned Act(s) and short description of the offence(s)
(21)	for which the candidate has ever been charged í í í í í í í í í í
(v)	Date(s) on which the sentence (s) was/were pronounced i i i i i i i
(vi)	Whether the sentence(s) has/have been stayed by any court(s) of
	competent jurisdiction í í í í í í í í í í í í í í í í í
(2) N	No case is pending against me before any court of law:-
OR	
The f	following case(s) is/are pending against me in which cognizance has been
taken by the	court, as per details below:-
(i)	Section of the Act and description of the offence for which cognizance taken:
(ii)	The Court which has taken cognizance:
(iii)	Case No. :
(iv)	Date of order of the Court taking cognizance:
(v)	Details of appeal(s) / application(s) for revision, etc., if any, filed against above order taking cognizance :

VERIFICATION

I, the deponent above named, do hereby verify and declare that the contents of the	his
affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief; no part of it is fa	lse
and nothing material has been concealed therefrom.	
Verified at this the day of, 200	
DEPONE	NT

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए मार्गनिर्देश तथा आवेदन पत्र

(कृपया मार्गनिर्देशों को सावधानी पूर्वक पढें)

किसी संगम या भारतीय नागरिकों के निकाय को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के उद्देश्य से, उस संगम या निकाय को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क की उपधारा (4) के अधीन अपना संपूर्ण—विवरण तथा राजनीतिक—दलों का पंजीकरण अतिरिक्त विवरण के अधीन पृथक रूप से अतिरिक्त—विवरण प्रदान करते हुए भारत निर्वाचन आयोग को एक आवेदन (संलग्नक—I पर दिए गए प्रारूप में) प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

- 2. यह आवेदन दल के लेटर हैड , यदि कोई हो, पर स्वच्छ रूप से टंकित होना चाहिए तथा इसे दल के गठन की तिथि से 30 दिनों के भीतर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग को रिजस्टर्ड डाक द्वारा भेजा / व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए । उपरोक्त अवधि के बाद प्रस्तुत किया जाने वाला कोई भी आवेदन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 (2) (ख) के उपबन्धों के अधीन कालातीत हो जाएगा । आवेदन पत्र तथा उसके संलग्नकों के समस्त पृष्ठों पर क्रमशः पृष्ठ संख्या अंकित होनी चाहिए ।
- 3. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज / जानकारी अवश्य संलग्न होने चाहिए :--
- (i) दल का संविधान इस प्रकार निर्मित किया जाए :-
 - अनुच्छेद I दल का नाम

(धर्म या जाति का नाम निहित नहीं होना चाहिए।)

अनुच्छेद \mathbf{II} — \mathbf{I} दल का उद्देश्य

(भारत के संविधान के अनुरूप होना चाहिए।)

अनुच्छेद III – दल की सदस्यता

(सभी वयस्क भारतीय नागरिकों के लिए।)

अनुच्छेद IV - दल के घटक (संगठनात्मक संरचना)

इनमें से प्रत्येक घटक की शक्तियाँ और प्रकार्य

(निर्णय लेने की शक्ति में लोकतांत्रिक भावना परिलक्षित होना चाहिए न कि

निषेधाधिकार की शक्ति।)

इनमें से प्रत्येक घटक के सदस्यों की नियुक्ति का तरीका (और पदावधि) (एक तिहाई से अधिक सदस्यों का नामांकन नहीं किया जा सकता, अवधि निश्चित होनी चाहिए जो पाँच वर्ष से अधिक न हो, आवधिक निर्वाचन अधिक से अधिक पाँच वर्ष के अन्दर)

अनुच्छेद V - दल के पदाधिकारी

इनमें से प्रत्येक पदाधिकारी की शक्तियाँ और प्रकार्य (निर्णय लेने की शक्ति में लोकतांत्रिक भावना परिलक्षित होनी चाहिए न कि निषेधाधिकार की शक्ति) इनमें से प्रत्येक पदाधिकारी की नियुक्ति का तरीका (और पदावधि) निर्वाचित किया जाना चाहिए, एक तिहाई से अधिक का नामांकन नहीं किया जा सकता, प्रत्येक के लिए नियत अवधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवधिक निर्वाचन अधिक से अधिक पाँच वर्ष के अन्दर)।

अनुच्छेद \mathbf{VI} — विवादों के निपटान एवं अनुशासन के नियम।

अनुच्छेद VII – कामकाज के संचालन की मूलभूत जानकारी

निर्णय लेने की प्रकियां, बैठकें, बैठक में सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या, नोटिस और निर्णय लिया जाना इत्यादिः

(विवरण अलग से संलग्न किया जा सकता है)

अनुच्छेद VIII - दल के कोष एवं लेखे

राजनीतिक गतिविधियों के लिए दल के कोष का उपयोग किया जाना चाहिए, लेखों का प्रोद्भवन प्रणाली में अनुरक्षण किया जाना चाहिये, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पैनल के लेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक रूप से संपरीक्षित वार्षिक लेखों को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के छः महीने के अन्दर भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करना।

(विवरण अलग से संलग्न किया जा सकता है)।

अनुच्छेद 🛮 🗶 — दल के संविधान की संशोधन प्रक्रिया।

अनुच्छेद X - विलयन, विभाजन और विघटन की प्रक्रिया।

अनुच्छेद **XI** – लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 क (5) के अधीन अनिवार्य प्रावधान।

- (ii) आवेदन के साथ एक जाँच-सूची (चैक लिस्ट) (संलग्नक-II), जिसको सभी मदों के समक्ष स्पष्ट उत्तर सहित, प्रस्तुत किया जाए । आवेदन की संबंद्ध पृष्ठ संख्या जहाँ जाँच सूची के किसी मद विशेष का विवरण देखा जा सके, आपके द्वारा अवश्य इंगित किया जाना चाहिए ।
- (iii) प्रसरण शुल्क के लिए अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में देय 10,000 / रू० (दस हजार रूपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट । यह उल्लेखनीय है कि यह प्रसरण शुल्क किसी भी दशा में लौटाया नहीं जाएगा ।
- (iv) दल के ज्ञापन / नियम एवं विनियम / विनियम / संविधान की एक स्वच्छ टाइप / मुद्रित प्रति जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 (क) की उपधारा (5) के अधीन अपेक्षित अधोलिखित विशिष्ट प्रावधान अक्षरशः समाविष्ट हों :--

......(दल का नाम) विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पथ—िनरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा तथा भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा । उक्त आवश्यक प्रावधान अनिवार्यतः दल के संविधान के मूल पाठ में इसके एक खण्ड के रूप में सम्मिलित होना चाहिए । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 29 (क) की उपधारा (7) के प्रावधान के अनुसार कोई भी संगम या निकाय एक राजनैतिक दल के रूप में तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे संगम या निकाय का ज्ञापन/नियम और विनियम/संविधान की धारा (29) यथापूर्वीक्त उपधारा (5) के उपबन्धों के अनुरूप नहीं है ।

- (v) दल के ज्ञापन/नियम व विनियम/संविधान में दल के आन्तरिक प्रजातन्त्र दल के विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक चुनाव एवं चुनावों की पद्धित, चुनावों की समयाविध, दल के पदाधिकारियों की कार्याविध और उनके अधिकारों व कर्त्तव्यों और दल की तरह—तरह की प्रतिनिधि समितियों (जैसे कार्यकारी समिति/कार्यकारी परिषद् आदि) के बारे में विशिष्ट प्रावधान होना चाहिए।
- (vi) इसके अतिरिक्त संविधान में दल के विलय / विघटन की स्थिति में प्रयुक्त की जाने वाली कार्यवाही दल के संविधान में संशोधन का प्रावधान और दोषी पाए गये सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की व्यवस्था होनी चाहिए। दल के संविधान में दल की सदस्यता के बारे में स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। दल की सदस्यता के सम्बन्ध में कोई विभेद नहीं होना चाहिए।
- (vii) संगठन के कम से कम 100 सदस्यों (समस्त पदाधिकारी / कार्यकारी समिति जैसे निर्णय लेने वाले मुख्य अंगों के सदस्यों सिहत) के सम्बन्ध में नवीनतम निर्वाचक नामाविलयों के उद्धरण जो संबंधित विधान सभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो और जिससे सिद्ध हो कि वह पंजीकृत निर्वाचक है। इसके विकल्प

के रूप में सदस्यों के मतदाता पहचान पत्र की राजपत्रित अधिकारी या नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।

- (viii) आवेदक दल के अध्यक्ष / महासचिव द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित एक शपथ-पत्र जो प्रथम श्रेणी मेजिस्ट्रेट / नोटरी पब्लिक / शपथ आयुक्त के समक्ष लिया गया हो कि संगठन का कोई भी सदस्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत किसी अन्य राजनैतिक दल का सदस्य नहीं है (संलग्नक-iii)।
- (ix) दल के कम से कम 100 सदस्यों के व्यक्तिगत शपथ—पत्र कि शपथ लेने वाला सदस्य एक पंजीकृत मतदाता है तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत किसी अन्य राजनैतिक दल का सदस्य नहीं है। ये शपथ—पत्र कम से कम 2/—रू० (दो रूपये) मूल्य वर्ग के स्टॉम्प पेपर पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक के समक्ष लिए गए हों। ये शपथ—पत्र उन व्यक्तियों के होने चाहिए जिनके सम्बन्ध पैरा (vi) में दिए गए निर्वाचक नामावलियों के प्रमाणित उद्धरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। (शपथ—पत्र का नमूना संलग्नक —(vi) पर)
- (x) दल के पदधारियों तथा सदस्यों जो उपरोक्त मद (vi) व (vii) पर वर्णित हैं की एक पूर्ण सूची प्रस्तुत की जानी चाहिए और निर्वाचक नामावलियों या मतदाता फोटो पहचान—पत्रों की प्रमाणित प्रति तथा व्यक्तिगत शपथपत्र इस सूची के क्रम के अनुसार ही संलग्न किया जाना चाहिए।
- (xi) दल के नाम से बैंक खाते का विवरण तथा स्थायी खाता संख्या (पैन), यदि हो, तो वह दिया जाना चाहिए।
- (xii) आदेदक दल को, भवन/परिसर जिसमें दल का कार्यालय स्थित है उसके स्वामी से स्टाम्प पेपर पर एक शपथ-पत्र के रूप में एक अनापित प्रमाण-पत्र, भवन/परिसर के स्वामित्व के प्रमाण जैसे गृहकर रसीद या रिजस्ट्री दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत करना है।
- (xiii) आवेदक को स्थानीय निकाय, नगर निगम इत्यादि से इस प्रभाव का एक अनापित प्रमाण-पत्र लगाना होगा कि ऐसे भवन में राजनीतिक दल का कार्यालय स्थापित करनें में उस प्राधिकरण के अधीन नियमों व विनियमनों का कोई उल्लंघन नहीं है।
- (xiv) आवेदक दल के मुख्य अंगों के पदधारियों से पृथक शपथ—पत्रों में उनकी परिसंपत्तियों एवं दायित्वों की जानकारी देनी होगी (संलग्न (V) पर प्रारूप संलग्न)

- (XV) आवेदक दल के पदधारियों को पिछले तीन वर्षों की दर्ज की गई उनकी आयकर रिर्टन की प्रति प्रस्तुत करनी होगी, यदि वे आयकर दाता हैं। यदि कोई पदधारी आयकर दाता नहीं है, तो उसे अपनी आय का प्रमाणित विवरण देना होगा।
- (xvi) दल के पदधारियों से सम्बन्धित पैन कार्ड का विवरण प्रदान किया जाए।
- (xvii) आवेदक दल के प्रमुख अंगों के पदधारियों से उनके आपराधिक पूर्ववृत्त (क्रिमनल एंटीसीडेंट) की जानकारी दर्शाता हुआ शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा। (संलग्न vi पर प्रारूप संलग्न)।
- (xviii) आवेदक दल को इसका एक अभिप्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए कि दल के संविधान को दल की साधारण सभा द्वारा अंगीकार किया गया है।
- (xix) आवेदक दल को अपने संविधान में यह घोषणा करनी चाहिए कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर आयोग को लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा।
- (xx) आवेदक दल को दल के संविधान में एक विशिष्ट उपबन्ध के द्वारा अपने संविधान में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह दल, किसी भी प्रकार की हिंसा को प्रोत्साहित या उत्तेजित नहीं करेगा और न ही उसमें भाग लेगा।
- (xxi) आवेदक दल, अपने संविधान में एक विशिष्ट उपबन्ध के द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि दल के पदधारियों को सभी पदों तथा दल के अंगों के लिए नियत कालाविध पर (संविधान में कम से कम 4 वर्ष में एक बार उल्लेख करना होगा) तथा नियमित निर्वाचन कराएगा।
- (xxii) आवेदक दल, अपने संविधान में एक विशिष्ट उपबन्ध के द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि संविधान में कोई भी संशोधन दल की साधारण सभा के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- (xxiii) दल को अपने संविधान में यह घोषित करना चाहिए कि वह अपने पंजीकरण के पाँच वर्षों के अन्दर निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाने वाले निर्वाचनों में भाग लेगा। (यदि दल लगातार 6 वर्षो तक चुनाव नहीं लड़ता है, तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जायेगा।)

- 4. यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि आवेदन संलग्नक—(ii) में दी गई जाँच सूची के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण हो। यदि आपके आवेदन में जाँच सूची के अनुसार वांछित / कोई सूचना आपके द्वारा नहीं प्रस्तुत की गई है या गलत प्रस्तुत की गई है तो आपके आवेदन पर विचार करना संभव नहीं होगा। अतः यह सलाह दी जाती है कि जाँच सूची को सावधानी पूर्वक भरकर आवेदन के साथ जमा किया जाए।
- 5. आवेदन उक्त उल्लिखित सभी अपेक्षित <u>विवरणों / दस्तावेजों</u> के साथ दल के गठन की तिथि से 30 दिनों के अंदर आयोग में अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपरोक्त अविध के बाद प्रस्तुत किया जाने वाला कोई भी आवेदन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क (2)(ख) के उपबंधों के अधीन <u>कालवर्जित होगा</u> तथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 6. आपके द्वारा विधिवत् पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर आपको भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आपके आवेदन की प्राप्ति स्वीकृति दी जाएगी जिसमें आपके द्वारा आगे की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन किया जाएगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क के अधीन राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन का प्रपत्र

	क राम न मणाकरण के लिए आपदग	<u> </u>
सेवा में,		
	सचिव,	
	भारत निर्वाचन आयोग,	
	निर्वाचन सदन, अशोक रोड,	
	नई दिल्ली—110001.	
महोदय,		
	यह अनुरोध है कि	(आवेदक दल का
नाम) को लोक प्रति	तेनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क के अधीन ए	क राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत कर
लिया जाए। उक्त ध	धारा 29 क की उप—उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित वि	वरण और राजनीतिक दलों का पंजीकरण
(अतिरिक्त विशिष्टयं	यों की प्रस्तुती) आदेश, 1992 के पैरा 2 के अधीन अपेि	क्षेत अतिरिक्त विशिष्टियाँ निम्न प्रकार है:
1. विशिष्टयाँ	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क ाँ :	5 की उप—धारा (4) के अधीन अपेक्षित
(क) संगम या निका	गय का नाम :	
(ख) वह राज्य जहाँ	ाँ इसका मुख्यालय स्थित है	
(ग) वह पता जिस	पर इसके लिए आशयित पत्र	
और अन्य संसू	नूचनाए भेजी जाएं। :	
(घ) इसके अध्यक्ष, र	सचिव, कोषाध्यक्ष और	
अन्य पदाधिकार्	ारियों के नाम :	
(ड़) इसके सदस्यों	की कुल संख्या	
और यदि इसवे	के सदस्यों की श्रेणियां है	
तो प्रत्येक श्रेणी	गी की आंकिक संख्या :	
(च) क्या इसकी स्थ	थानीय इकाइयां हैं ?	

यदि हैं, तो किस स्तर पर :

3.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क के अधीन राजनीतिक दल के पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ संलग्न की जाने वाली जाँच—सूची

आवेदन में निम्नलिखित <u>विवरण / दस्तावेज</u> होने चाहिए । आवेदक को जाँच-सूची के प्रत्येक मद के समक्ष यह अवश्य इंगित करना चाहिए कि संबद्ध मद के निर्देशों का पालन किया गया है या नहीं । किसी भी मद को अपूर्ण नहीं छोड़ा जाना चाहिए । अपूर्ण जाँच-सूची के साथ प्राप्त आवेदन को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा

 वया आवेदक दल/संगठन का नाम स्पष्ट रूप से दिया गया है? यह नाम विद्यमान दलों के नाम से स्पष्टत्या मिन्न होना चाहिए । वया वल के गठन की तिथि अंकों व शब्दों दोनों में दी गई है? (दल के गठन से संबंधित दस्तावेज/साह्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए) वया वल के गठन की तिथि अंकों व शब्दों दोनों में दी गई है? (दल के गठन से संबंधित दस्तावेज/साह्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए) वया आयोग को आवेदन दल के गठन की तिथि के 30 हों / नहीं दिनों के अंदर भेजा गया है? वया आवेदन के साथ प्रसरण शुक्क के रूप में 10,000 रूठ का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया गया है? (यह डिमांड ड्राफ्ट अवर सचिव मारत निर्वाचन आयोग के पक्ष में दिल्ली में देय होना चाहिए । प्रसरण शुक्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रसरण नहीं किया जाएगा ।) वया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क (४) के अधीन अपेक्षित निम्निलिखित विशिष्टियों आवेदन में उपलब्ध कराई गई हैं? (क) संगम या निकाय का नाम (ख) वह राज्य जहाँ इसका मुख्यालय स्थित है (ग) वह पता जिस पर इसके लिए आशयित पत्र और अन्य संसूचनाएं भेजी जाएं (घ) इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पद्मिकारियों के नाम (ड.) इसके सदस्यों की कुल संख्या और यदि इसके सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या (च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयों हैं? यदि हैं: तो किस स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व हैं? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों का संख्या 	क्रम सं0	मद	आवेदक की टिप्पणी	सन्दर्भ पृष्ठ सं0
भिन्न होना चाहिए । साथ ही, दल के नाम का कोई भी भाग धार्मिक, सांप्रदायिक या जातिगत अर्थ लिए हुए नहीं होना चाहिए । 2. क्या दल के गठन की तिथि अंकों व शब्दों दोनों में दी गई है? (दल के गठन से संबंधित दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए) 3. क्या आयोग को आवेदन दल के गठन की तिथि के 30 हाँ / नहीं दिनों के अंदर भेजा गया है? 4. क्या आयेवन के साथ प्रसरण शुल्क के रूप में 10,000 रूठ का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया गया है? (यह डिमांड ड्राफ्ट अवर सचिव भारत निर्वाचन आयोग के पक्ष में दिल्ली में देय होना चाहिए । प्रसरण शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रसरण नहीं किया जाएगा ।) 5. क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क (4) के अधीन अपेक्षित निम्नलिखित विशिष्टियों आवेदन में उपलब्ध कराई गई हैं? (क) संगम या निकाय का नाम (ख) वह राज्य जहां इसका मुख्यालय स्थित है हाँ / नहीं हाँ / नहीं आन्य संसूचनाएं भेजी जाएं (घ) इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के नाम (इ.) इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के नाम (इ.) इसके सदस्यों की कुल संख्या और यदि इसके सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या (च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयाँ हैं? यदि हैं; तो किस स्तर पर (छ) कया संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व हैं? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों का संख्या	1.		हाँ / नहीं	
भाग धार्मिक, सांप्रदायिक या जातिगत अर्थ लिए हुए नहीं होना चाहिए । 2. क्या दल के गठन की तिथि अंकों व शब्दों दोनों में दी गई है' (दल के गठन से संबंधित दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए) 3. क्या आयोग को आवेदन दल के गठन की तिथि के 30 दिनों के अंदर भेजा गया है? 4. क्या आवेदन के साथ प्रसरण शुल्क के रूप में 10,000 रूठ का डिमांड ड्राफ्ट अवर सचिव भारत निर्वाचन आयोग के पक्ष में दिल्ली में देय होना चाहिए । प्रसरण शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रसरण नहीं किया जाएगा ।) 5. क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क (4) के अधीन अपेक्षित निम्निलखित विशिष्टियाँ आवेदन में उपलब्ध कराई गई हैं? (क) संगम या निकाय का नाम (ख) वह राज्य जहाँ इसका मुख्यालय स्थित है हाँ / नहीं हाँ / नहीं अन्य संसूचनाएं भेजी जाएं (घ) इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य संसूचनाएं भेजी जाएं (घ) इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य एताधिकारियों के नाम (ख) इसके सदस्यों की कुल संख्या और यदि इसके सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या (च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयाँ हैं? यदि हैं; तो किस हाँ / नहीं स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व हैं? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व हैं? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की प्रतिनिधित्व हैं? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या				
होना चाहिए । 2. क्या दल के गठन की तिथि अंकों व शब्दों दोनों में दी गई है? (दल के गठन से संबंधित दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए) 3. क्या आयोग को आवेदन दल के गठन की तिथि के 30 हाँ / नहीं विमों के अंदर भेजा गया है? 4. क्या आवेदन के साथ प्रसरण शुल्क के रूप में 10,000 रूठ का डिमांड ड्राफट संलग्न किया गया है? (यह डिमांड ड्राफट अवर सचिव भारत निर्वाचन आयोग के पक्ष में दिल्ली में देय होना चाहिए । प्रसरण शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रसरण नहीं किया जाएगा ।) 5. क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क (4) के अधीन अपेक्षित निम्निलेखित विशिष्टियाँ आवेदन में उपलब्ध कराई गई हैं? (क) संगम या निकाय का नाम (ख) वह राज्य जहाँ इसका मुख्यालय स्थित है हाँ / नहीं हाँ / नहीं अन्य संसूचनाएं भेजी जाएं (घ) इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य संसूचनाएं भेजी जाएं (घ) इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य हाँ / नहीं सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या (च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयाँ हैं? यदि हैं; तो किस हाँ / नहीं स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व हैं? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की प्रतिनिधित्व हैं? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की प्रतिनिधित्व हैं? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की प्रतिनिधित्व हैं? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की प्रतिनिधित्व हैं? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की प्रतिनिधित्व हैं? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की प्रतिनिधित्व हैं? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की प्रतिनिधित्व हैं? विदे हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या				
2. क्या दल के गठन की तिथि अंकों व शब्दों दोनों में दी गई है? (दल के गठन से संबंधित दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए) 3. क्या आयोग को आवेदन दल के गठन की तिथि के 30 दिनों के अंदर भेजा गया है? 4. क्या आवेदन के साथ प्रसरण शुक्क के रूप में 10,000 रूठ का डिमांड ड्राफ्ट संलगन किया गया है? (यह डिमांड ड्राफ्ट अवर सचिव भारत निर्वाचन आयोग के पक्ष में दिल्ली में देय होना चाहिए । प्रसरण शुक्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रसरण नहीं किया जाएगा ।) 5. क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1961 की धारा 29 क (4) के अधीन अपेक्षित निम्नलिखित विशिष्टियाँ आवेदन में उपलब्ध कराई गई हैं? (क) संगम या निकाय का नाम (ख) वह राज्य जहाँ इसका मुख्यालय स्थित है (ग) वह पता जिस पर इसके लिए आशयित पत्र और अन्य संसूचनाएं भेजी जाएं (घ) इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पताधिकारियों के नाम (ड.) इसके सदस्यों की कुल संख्या और यदि इसके सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या (च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयाँ हैं? यदि हैं; तो किस हाँ / नहीं स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का संख्या				
गई है? (दल के गठन से संबंधित दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए) 3. क्या आयोग को आवेदन दल के गठन की तिथि के 30 हिं / नहीं दिनों के अंदर भेजा गया है? 4. क्या आवेदन के साथ प्रसरण शुल्क के रूप में 10,000 रूठ का डिमांड ड्राफ्ट अंवर सिविव भारत निर्वाचन आयोग के पक्ष में दिक्ली में देय होना चाहिए । प्रसरण शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रसरण नहीं किया जाएगा ।) 5. क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1961 की धारा 29 क (4) के अधीन अभिक्षत निम्निलखित विशिष्टियाँ आवेदन में उपलब्ध कराई गई हैं? (क) संगम या निकाय का नाम (ख) वह राज्य जहाँ इसका मुख्यालय स्थित है (ग) वह पता जिस पर इसके लिए आशयित पत्र और अन्य पसंसूचनाएं भेजी जाएं (घ) इसके अध्यक्ष, सिविव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के नाम (ड.) इसके अध्यक्ष, सविव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के नाम (ड.) इसके सदस्यों की कुल संख्या और यदि इसके सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या (च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयाँ हैं? यदि हैं; तो किस हाँ / नहीं स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व हैं? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व हैं? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व हैं? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व हैं? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व हैं? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व हैं? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व हैं? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व हैं? तो हम		•	٠ . «	
प्रस्तुत किए जाने चाहिए) 3. क्या आयोग को आवेदन दल के गठन की तिथि के 30 हाँ / नहीं दिनों के अंदर भेजा गया है? 4. क्या आवेदन के साथ प्रसरण शुल्क के रूप में 10,000 रू0 का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया गया है? (यह डिमांड ड्राफ्ट अवर सचिव भारत निर्वाचन आयोग के पक्ष में दिल्ली में देय होना चाहिए । प्रसरण शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रसरण नहीं किया जाएगा ।) 5. क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क (4) के अधीन अपेक्षित निम्नलिखित विशिष्टियाँ आवेदन में उपलब्ध कराई गई हैं? (क) संगम या निकाय का नाम (ख) वह राज्य जहाँ इसका मुख्यालय स्थित है (ग) वह पता जिस पर इसके लिए आशयित पत्र और अन्य पत्रधिकारियों के नाम (ड.) इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के नाम (ड.) इसके सदस्यों की कुल संख्या और यदि इसके सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या (च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयाँ हैं? यदि हैं: तो किस स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व हैं? यदि है, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या	2.		हों / नहीं	
3. क्याँ आयोग को आवेदन दल के गठन की तिथि के 30 हाँ / नहीं दिनों के अंदर भेजा गया है? 4. क्या आवेदन के साथ प्रसरण शुल्क के रूप में 10,000 रूठ का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया गया है? (यह डिमांड ड्राफ्ट अवर सचिव भारत निर्वाचन आयोग के पक्ष में दिल्ली में देय होना चाहिए । प्रसरण शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रसरण नहीं किया जाएगा ।) 5. क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क (4) के अधीन अपेक्षित निम्नलिखित विशिष्टियाँ आवेदन में उपलब्ध कराई गई हैं? (क) संगम या निकाय का नाम (ख) वह राज्य जहाँ इसका मुख्यालय स्थित है (ग) वह पता जिस पर इसके लिए आशयित पत्र और अन्य संसूचनाएं भेजी जाएं (घ) इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के नाम (ड.) इसके सदस्यों की कुल संख्या और यदि इसके सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या (च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयाँ हैं? यदि हैं; तो किस स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व हैं? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या				
विनों के अंदर भेजा गया है?		•	° , ~	
4. क्या आवेदन के साथ प्रसरण शुल्क के रूप में 10,000 रू0 का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया गया है? (यह डिमांड ड्राफ्ट अवर सचिव भारत निर्वाचन आयोग के पक्ष में दिल्ली में देय होना चाहिए । प्रसरण शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रसरण नहीं किया जाएगा ।) 5. क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क (4) के अधीन अपेक्षित निम्निलेखित विशिष्टियाँ आवेदन में उपलब्ध कराई गई हैं? (क) संगम या निकाय का नाम (ख) वह राज्य जहाँ इसका मुख्यालय स्थित है (ग) वह पता जिस पर इसके लिए आशयित पत्र और अन्य संसूचनाएं भेजी जाएं (घ) इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य हाँ / नहीं यदाधिकारियों के नाम (ड.) इसके सदस्यों की कुल संख्या और यदि इसके सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या (च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयाँ हैं? यदि हैं; तो किस हाँ / नहीं स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों की संख्या	3.		हा / नहीं	
10,000 रू० का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया गया है? (यह डिमांड ड्राफ्ट अवर सचिव भारत निर्वाचन आयोग के पक्ष में दिल्ली में देय होना चाहिए । प्रसरण शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रसरण नहीं किया जाएगा ।) 5. क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क (4) के अधीन अपेक्षित निम्निलखित विशिष्टियाँ आवेदन में उपलब्ध कराई गई हैं? (क) संगम या निकाय का नाम (ख) वह राज्य जहाँ इसका मुख्यालय स्थित है (ग) वह पता जिस पर इसके लिए आशयित पत्र और अन्य संसूचनाएं भेजी जाएं (घ) इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पताधिकारियों के नाम (ड.) इसके सदस्यों की कुल संख्या और यदि इसके सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या (च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयाँ हैं? यदि हैं; तो किस स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? यदि है, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या				
(यह डिमांड ड्राफ्ट अवर सचिव भारत निर्वाचन आयोग के पक्ष में दिल्ली में देय होना चाहिए । प्रसरण शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रसरण नहीं किया जाएगा ।) 5. क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क (4) के अधीन अपेक्षित निम्निलखित विशिष्टियाँ आवेदन में उपलब्ध कराई गई हैं? (क) संगम या निकाय का नाम (ख) वह राज्य जहाँ इसका मुख्यालय स्थित है (ग) वह पता जिस पर इसके लिए आशयित पत्र और अन्य संसूचनाएं भेजी जाएं (घ) इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के नाम (ड.) इसके सदस्यों की कुल संख्या और यदि इसके सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या (च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयाँ हैं? यदि हैं; तो किस स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों की संख्या हैं? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या	4.			
के पक्ष में दिल्ली में देय होना चाहिए । प्रसरण शुक्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रसरण नहीं किया जाएगा ।) 5. क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क (4) के अधीन अपेक्षित निम्निलेखित विशिष्टियाँ आवेदन में उपलब्ध कराई गई हैं? (क) संगम या निकाय का नाम (ख) वह राज्य जहाँ इसका मुख्यालय स्थित है हाँ / नहीं हाँ / नहीं हाँ / नहीं आन्य संसूचनाएं भेजी जाएं (घ) इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के नाम (इ.) इसके सदस्यों की कुल संख्या और यदि इसके सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या (च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयाँ हैं? यदि हैं; तो किस स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व हैं? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या				
बिना प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रसरण नहीं कियाँ जाएगा ।) 5. क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनयम, 1951 की धारा 29 क (4) के अधीन अपेक्षित निम्नलिखित विशिष्टियाँ आवेदन में उपलब्ध कराई गई हैं? (क) संगम या निकाय का नाम (ख) वह राज्य जहाँ इसका मुख्यालय स्थित है (ग) वह पता जिस पर इसके लिए आशयित पत्र और अन्य संसूचनाएं भेजी जाएं (घ) इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के नाम (इ.) इसके सदस्यों की कुल संख्या और यदि इसके सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या (च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयाँ हैं? यदि हैं; तो किस स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व हैं? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या				
1) 5. वया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क (4) के अधीन अपेक्षित निम्नलिखित विशिष्टियाँ आवेदन में उपलब्ध कराई गई हैं? (क) संगम या निकाय का नाम (ख) वह राज्य जहाँ इसका मुख्यालय स्थित है (ग) वह पता जिस पर इसके लिए आशियत पत्र और अन्य संसूचनाएं भेजी जाएं (घ) इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पताधिकारियों के नाम (इ.) इसके सदस्यों की कुल संख्या और यदि इसके सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या (च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयाँ हैं? यदि हैं; तो किस स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों की संख्या				
5. क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क (4) के अधीन अपेक्षित निम्निलेखित विशिष्टियाँ आवेदन में उपलब्ध कराई गई हैं? (क) संगम या निकाय का नाम (ख) वह राज्य जहाँ इसका मुख्यालय स्थित है (ग) वह पता जिस पर इसके लिए आशयित पत्र और अन्य संसूचनाएं भेजी जाएं (घ) इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के नाम (इ.) इसके सदस्यों की कुल संख्या और यदि इसके सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या (च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयाँ हैं? यदि हैं; तो किस स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या		,		
(4) के अधीन अपेक्षित निम्निलिखित विशिष्टियाँ आवेदन में उपलब्ध कराई गई हैं? (क) संगम या निकाय का नाम (ख) वह राज्य जहाँ इसका मुख्यालय स्थित है (ग) वह पता जिस पर इसके लिए आशियत पत्र और अन्य संसूचनाएं भेजी जाएं (घ) इसके अध्यक्ष, सिचव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के नाम (ड.) इसके सदस्यों की कुल संख्या और यिद इसके सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या (च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयाँ हैं? यिद हैं; तो किस स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व हैं? यिद हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या				
में उपलब्ध कराई गई हैं? (क) संगम या निकाय का नाम (ख) वह राज्य जहाँ इसका मुख्यालय स्थित है (ग) वह पता जिस पर इसके लिए आशयित पत्र और अन्य संसूचनाएं भेजी जाएं (घ) इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के नाम (ड.) इसके सदस्यों की कुल संख्या और यदि इसके सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या (च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयाँ हैं? यदि हैं; तो किस स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों की संख्या हैं? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या	5.			
(क) संगम या निकाय का नाम (ख) वह राज्य जहाँ इसका मुख्यालय स्थित है (ग) वह पता जिस पर इसके लिए आशयित पत्र और ठाँ / नहीं अन्य संसूचनाएं भेजी जाएं (घ) इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के नाम (ड.) इसके सदस्यों की कुल संख्या और यदि इसके सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या (च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयाँ हैं? यदि हैं; तो किस स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व हैं? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों का संख्या				
(ख) वह राज्य जहाँ इसका मुख्यालय स्थित है (ग) वह पता जिस पर इसके लिए आशयित पत्र और उन्य संसूचनाएं भेजी जाएं (घ) इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के नाम (ड.) इसके सदस्यों की कुल संख्या और यदि इसके सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या (च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयाँ हैं? यदि हैं; तो किस स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या			 ਤੱਂ / - ਤੇਂ	
(ग) वह पता जिस पर इसके लिए आशयित पत्र और अन्य संसूचनाएं भेजी जाएं (घ) इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य एदाधिकारियों के नाम (ड.) इसके सदस्यों की कुल संख्या और यदि इसके सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या (च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयाँ हैं? यदि हैं; तो किस स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? यदि हैं, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या				
अन्य संसूचनाएं भेजी जाएं (घ) इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य हाँ / नहीं पदाधिकारियों के नाम (ड.) इसके सदस्यों की कुल संख्या और यदि इसके सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या (च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयाँ हैं? यदि हैं; तो किस हाँ / नहीं स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? यदि है, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या		• •	_	
(घ) इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य एदाधिकारियों के नाम (इ.) इसके सदस्यों की कुल संख्या और यदि इसके सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या हैं / नहीं सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या हैं / नहीं स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी हाँ / नहीं सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? यदि है, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या			। हा / पहा	
पदाधिकारियों के नाम (ड.) इसके सदस्यों की कुल संख्या और यदि इसके सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या (च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयाँ हैं? यदि हैं; तो किस हाँ / नहीं स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? यदि है, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या			 ਤੱਂ / ਹਟੀਂ	
(ड.) इसके सदस्यों की कुल संख्या और यदि इसके हाँ / नहीं सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या (च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयाँ हैं? यदि हैं; तो किस हाँ / नहीं स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी हाँ / नहीं सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? यदि है, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या			6 / 10	
सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या (च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयाँ हैं? यदि हैं; तो किस हाँ / नहीं स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी हाँ / नहीं सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? यदि है, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या			 ਵਾੱ / ਜਵੀਂ	
(च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयाँ हैं? यदि हैं; तो किस हाँ / नहीं स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी हाँ / नहीं सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? यदि है, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या			er / Ter	
स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी हाँ / नहीं सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? यदि है, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या				
स्तर पर (छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी हाँ / नहीं सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? यदि है, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या		(च) क्या इसकी स्थानीय इकादयाँ हैं? यदि हैं- तो क्रिम	हाँ / नहीं	
(छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी हाँ / नहीं सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? यदि है, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या			61 / 161	
सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? यदि है, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या			हाँ / नहीं	
है? यदि है, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या			,	
६. क्या राजनातिक दला का राजस्ट्राकरण (आतीरक्त	6.	क्या राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रीकरण (अतिरिक्त		
विशिष्टियों की प्रस्तुति) आदेश, 1992 के पैरा 2 के अधीन				
अपेक्षित निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्टियाँ आवेदन के				

	साथ पृथक रूप से उपलब्ध कराई गई हैं ?	
	। पाल रूपक एवं पा उपलब्ध कराई गई ह !	
	(क) वे सिद्धांत, जिन पर संगम या निकाय आधारित है	 ਜੱ / ਜੂਰੀ
	I 5 5 1 .	· ·
	(ख) वे नीतियां, लक्ष्य और उद्देश्य, जिनका वह	ા તાલુકા
	अनुसरण करता है या अनुसरण करना चाहता है	* / *
	(ग) अपने सिद्धांतों, नीतियों, लक्ष्यों और उद्देश्यों को	हा / नहा
	पूरा करने के लिए इसके कार्यक्रम, कार्य और गतिविधियाँ	٠, ،
	(घ) संगम् या निकाय के मुख्य अंगों के नाम (चाहे जो	हाँ / नहीं
	भी नाम हो) उनके कार्य और अध्यक्ष का नाम (चाहे जो	
	भी नाम हो), और ऐसे अंगों के अन्य सदस्य :	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	(ड.) निर्वाचकों के साथ संगम या निकाय का सम्बन्ध	हा / नही
	और जनता से प्राप्त समर्थन जो उसे उपलब्ध है, ऐसे	
	सम्बन्ध और समर्थन का मूर्त प्रमाण, यदि कोई हो,	
7.	क्या दल के मुख्य कार्यकारी ने आवेदन तथा दल के	हाँ / नहीं
	संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं ?	
8.	क्या संगठन के अध्यक्ष / महासचिव द्वारा प्रथम श्रेणी	हॉ / नहीं
	मजिस्ट्रेट / शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत् रूप से शपथ	
	लेकर एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है कि इस दल	
	का कोई भी सदस्य आयोग के पास पहले से रजिस्टर्ड	
	किसी अन्य दल का सदस्य नहीं है तथा कोई घोषित	
	भगोड़ा इस दल का सदस्य नहीं है तथा वे सभी सदस्य	
	जिन्होंने दल के सदस्य के रूप में शपथ ली है उस	
	नोटरी के समक्ष अपने हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान लगाया	
	है जिसने शपथ-पत्र सत्यापित कियाँ है?	
9.	क्या दल के सभी सदस्यों की संख्या (अंकों व शब्दों	हाँ / नहीं
	दोनों में) दर्शायी गई है?	
10.	क्या कम से कम 100 सदस्यों की निर्वाचक नामावलियों	हाँ / नहीं
	के प्रमाणित उद्धरण (जिसमें	
	पदाधिकारियों / सदस्यों / कार्यकारिणी समिति के सदस्यों	
	सहित) प्रस्तुत किए गए हैं? (उद्धरण संबंधित निर्वाचक	
	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।	
	विकल्पतः, सदस्यों के निर्वाचक फोटो पहचान पत्र की	
	फोटो पहचान पत्र की फोटो प्रतियां राजपत्रित अधिकारी	
	या नोटरी द्वारा विधिवत् रूप से अनुप्रमाणित करवाने के	
	उपरान्त ही प्रस्तुत की जानी चाहिए ।)	
11.	क्या संस्था के उपरोक्त 100 सदस्यों से 2/- रू०	हाँ / नहीं
	मूल्य वर्ग के स्टैंप पेपर पर लिए गए व्यक्तिगत शपथपत्र,	
	जिस पर प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त/नोटरी	
	पब्लिक के समक्ष हस्ताक्षर किए गए थे, प्रस्तुत कर दिए	
	गए हैं? (शपथ पत्र में सदस्यों को इस सम्बन्ध में पुष्टि	
	करनी चाहिए कि (i) वह आवेदक पार्टी का सदस्य है	
	(पार्टी का नाम उल्लेख करें)(ii) वह किसी विशेष	
	निर्वाचन क्षेत्र का रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक है (निर्वाचन क्षेत्र	
	g and a second s	
1	TET THE THE T\ TON /\ TE ANTHUM HE HANDED	
	का नाम देना है) तथा (iii) वह आयोग में पंजीकृत	
	किसी अन्य राजनैतिक पार्टी या जिसका आवेदन आयोग	
12.	का नाम दना है) तथा (111) वह आयाग में पंजाकृत किसी अन्य राजनैतिक पार्टी या जिसका आवेदन आयोग के पास निपटान के लिए लंबित है, का सदस्य नहीं है । क्या पदाधिकारियों एवं सदस्यों की एक सूची प्रस्तुत की	हाँ / नहीं

	गई है तथा निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रति या	
	मतदाता पहचान पत्र एवं व्यक्तिगत शपथ पत्र, सूची में	
	वर्णित क्रमवार संलग्न हैं ?	
13.	क्या लोकतांत्रिक आधार पर पार्टी की प्रशासनिक व्यवस्था	हाँ / नहीं
	तथा कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में सभी विवरण तथा प्रावधानों	
	सहित पार्टी के संविधान की एक प्रति आवेदन के साथ	
	संलग्न कर दी गई	
	ਫ਼ੈ?	
	निम्नलिखित की विशेष रूप से जाँच कर लें :	
	(i) क्या पार्टी का संविधान पार्टी की	हाँ / नहीं
	साधारण सभा	
	द्वारा अंगीकृत है तथा क्या कोई इस सम्बन्ध में	
	प्रमाणित दस्तावेजीय प्रमाण संलग्न किया गया है ?	
	(ii)क्या संविधान में निम्नलिखित प्रावधान शामिल	
	हैं ? :-	
	्र : . (क) सभी पदों तथा पदाधिकारियों के समयबद्ध	
	नियमित चुनाव	हाँ / नहीं
	(ख)लोकतंत्र, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षवाद को	
	इसके मूल सिद्धांत घोषित करता है ।	हाँ / नहीं
	(ग) यह घोषित करता है कि पार्टी किसी भी प्रकार	
	की हिंसा को बढ़ावा नहीं देगी और न ही	हाँ / नहीं
	उसमें शामिल होगी ।	
	(घ) यह घोषित करता है कि पार्टी पदाधिकारियों	
	के सभी पदों तथा पार्टी के अंगों के लिए	
	समयबद्ध चुनाव (समयावधि को संविधान में	
	विनिर्दिष्ट किया जाएगा पर यह 4 वर्ष में कम से	
	कम एक बार अवश्य) कराये जाएंगे ।	
	(ड.) यह घोषित करता है कि दल अपने	
	पंजीकरण के पांच वर्षों के अंदर निर्वाचन आयोग	
	द्वारा करवाए जाने वाले चुनाव लड़ेगा तथा उसके	हाँ / नहीं
	पश्चात् चुनाव लड़ना जारी रखेगा (यदि दल	
	लगातार छः वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता तो	
	पंजीकृत दलों की सूची से उसका नाम हटा दिया	
	जाएगा)	
	(च) यह घोषित करता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष	
	के दौरान पार्टी अपने लेखों की लेखा–परीक्षा चार्टेड	हाँ / नहीं
	एकाउन्टेट से अवश्य करवाएगी तथा इसकी प्रति	
	प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के अन्दर	
	निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेगी ।	
14.	क्या पार्टी के मुख्य कार्यपालक ने पार्टी संविधान के	हाँ / नहीं
1-7.	प्रत्येक पृष्ठ को अपने पूर्ण हस्ताक्षर द्वारा अभिप्रमाणित	61 / 161
	किया है तथा क्या उस पर पार्टी की मुहर लगाई गई है?	
15.	क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क	हाँ / नहीं
	(5) के अनिवार्य उपबन्ध कि "दल विधि द्वारा स्थापित	
	भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथ–निरपेक्षता	
	और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा	
	रखेगा तथा भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता को	

	अक्षुण्ण रखेगा ।** को इन्हीं शब्दों में पार्टी संविधान में	
	शामिल किया गया है ?	
16.	क्या सभी मुख्य अंगों (पार्टी की समितियां, परिषदें इत्यादि) के नाम तथा उक्त अंगों के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत की गई है ?	
17.	क्या पार्टी के प्रत्येक अंग तथा पदाधिकारियों के कार्य तथा उनके अधिकारों का उल्लेख है ?(यदि आवेदन प्रस्तुत करते समय किन्हीं अंगों का गठन नहीं किया गया है तो भी पार्टी संविधान में इन सभी अंगों को शामिल किया जाना चाहिए)	हाँ / नहीं
18.	क्या पार्टी संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि केवल वे भारतीय नागरिक जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त की ली है, पार्टी का सदस्य बनने के पात्र हैं? पार्टी की सदस्यता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए तथा पार्टी सदस्यता किसी भी वयस्क भारतीय नागरिक के लिए खुली होनी चाहिए।	हाँ / नहीं
19.	क्या विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक चुनावों के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान तथा विभिन्न सिमितियों / पदाधिकारियों की पदाविध (सामान्यतः 4 वर्षो से अधिक नहीं) की सूचना पार्टी संविधान में दी गई है? संविधान में स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए कि पार्टी की सभी शीर्ष स्तरीय सिमितियों तथा प्रतिनिधि निकायों का गठन लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से हो ऐसे निकायों के सदस्यों का नामांकन, यदि प्रावधान हो न्यूनतम होना चाहिए तथा यह सिमित / निकाय की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होना चाहिए ।	हाँ / नहीं
20	क्या इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं कि पार्टी के विभिन्न पदों की चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक है (कोई भी पद आनुवंशिक नहीं अथवा स्थायी रूप से रखा गया नहीं होना चाहिए)? क्या पार्टी संविधान इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख करता है कि पार्टी की कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक है? क्या उचित स्तर के प्रतिनिधि निकायों में निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुमत के आधार पर है?	हाँ / नहीं
21.	क्या पार्टी के विलय तथा विघटन की प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख किया गया है? (इस प्रकार के महत्तवपूर्ण निर्णय पार्टी के सभी स्तरों पर परामर्श के पश्चात् लिए जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रावधान स्पष्ट होने चाहिए?)	हाँ / नहीं
22.	क्या दल के संविधान में विशेष उपबन्ध दिया गया है कि संविधान में कोई भी संशोधन दल की सामान्य सभा द्वारा अवश्य स्वीकृत होना चाहिए?	
23.	क्या दल के संविधान में दोषी पाए गए सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई की प्रक्रिया दी गई है?	हॉ / नहीं
24.	क्या दल के नाम पर बैंक खाता स्थाई खाता संख्या (पैन), यदि कोई हो, का विवरण दिया गया है?	
25.	क्या जिस भवन में दल का कार्यालय स्थित है, उसके स्वामी की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा उस भवन के	हाँ / नहीं

	स्वामित्व को सिद्ध करने के लिए मूर्त प्रमाण जैसे		
	भवन–कर रसीद या रजिस्ट्री के कागजात की प्रमाणित		
	प्रति प्रस्तुत की गई है?		
26.	क्या स्थानीय निकाय, म्यूनिसपैलिटी, म्यूनिसिपल	हाँ / नहीं	
	कोरपोरेशन आदि से इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र		
	कि संबंधित निकाय के नियमों–विनियमों के अधीन		
	उपरोक्त भवन में दल का कार्यालय स्थापित किये जाने		
	पर कोई प्रतिंबध नहीं है ?		
27.	क्या दल के संविधान में दल की विभिन्न समितियों	हाँ / नहीं	
	परिषदों तथा अन्य प्रतिनिधि निकायों की वैध बैठकों के		
	लिए <u>गणपूर्ति / संबंधित</u> निकायों के न्यूनत्तम 1/3 सदस्य		
	होने संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं ?		
28.	क्या आवेदक दल के मुख्य अंगों के पदाधिकारियों की	हाँ / नहीं	
	ओर से उनकी परिसंपत्तियों तथा दायित्वों के सम्बन्ध में		
	अलग से शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं ?		
29.	क्या आवेदक दल के पदाधिकारियों ने पिछले तीन वर्षों में	हॉ / नहीं	
	जमा की गई आयकर-रिटर्न की प्रति, यदि वे आय-कर		
	दाता है, प्रस्तुत की है?		
30.		हाँ / नहीं	
	के स्त्रोत के साथ अपनी आय का प्रमाणित विवरण प्रस्तुत		
	किया है?		
31.	क्या दल के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में पैन कार्ड का	हॉ / नहीं	
	विवरण प्रस्तुत किया गया है ?		
32.	क्या दल के मुख्य अंगों के पदाधिकारियों द्वारा उनके	हॉ / नहीं	
	आपराधिक पूर्ववृत्त से संबंधित सूचना शपथ–पत्र के रूप		
	में प्रस्तुत की गई है ?		

विशेषः जाँच—सूची के अनुसार सभी विवरणों एवं दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन पर कारवाई की जाएगी एवं पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के 2 या 3 माह की तर्क सम्मत अविध के अन्दर आवेदक को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। यदि इस अविध में आयोग से कोई पत्र नहीं प्राप्त होता है तो आवेदक को आयोग के सिचवालय में संपर्क करेने की सलाह दी जाती है।

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट / शपथ आयुक्त / नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ लेने के लिए दल के अध्यक्ष या महासचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले शपथ—पत्र का नमूना

	详	(अभिसाक्षी) सुपुत्र / सुपुत्री श्री	
	निवासी		द्द्वारा
सत्यनि	िष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ / तथा यह कहता हूँ /	कहती हूँ	
1.	कि मैं(कृपय	ा आवेदक दल के नाम का उल्लेख करें) क	গ
	अध्यक्ष / महासचिव हूँ ।		
2.	कि इस दल का कोई भी सदस्य भारत निर्वाचन आयोग	के पास पंजीकृत किसी अन्य राजनीतिक द	ल का
	सदस्य नहीं है ।		
3.	मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि उक्त तथ्य मेरे सर्वोत्त	म ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य एवं	सहीं हैं ।
	ŭ.	•	
		((अभिसाक्षी)

(अभिसाक्षी)

प्रथम	श्रेण	गी मजिस्ट्रेट / शपथ आयुक्त / नोटरी पब्लिक के समक्ष दल के 100 सदस्यों (सभी पदधारियों समेत) के सम्बन्ध में व्यक्तिगत शपथ—पत्र का नमूना	
		मैं(अभिसाक्षी) सुपुत्र / सुपुत्री श्री	
		निवासी एतद्द्वारा	
सत्यिन	नेष्ट	ा से प्रतिज्ञा करता हूँ ∕ करती हूँ ∕ तथा यह कहता हूँ ∕ कहती हूँ	
1	۱.	कि मैं(कृपया आवेदक दल के नाम का उल्लेख करें) दल	का
		एक सदस्य हूँ।	
2	<u>2</u> .	कि मैं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (कृपया निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं० व	Ī
		नाम लिखें) में एक पंजीकृत निर्वाचक हूँ ।	
3	3.	मैं भारत निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ।	
4	1.	मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि उक्त तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही ह	ੈ

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क के अधीन राजनीतिक दल का पंजीकरण

(आवेदक दल के पदाधिकारियों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष) द्वारा परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संबंध में प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र}

मैं सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी	आय	वर्ष	निवासी	
<u> </u>	•		_	ा से
प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ और शपथपूर्व			(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
(जो लागू हो न हो उसे काट दें)	67	6		

- 2. कि मेरे स्वयं के तथा मेरे पति / पत्नी तथा आश्रितों की परिसम्पत्तियों (अचल / चल बैंक जमा आदि) का विवरण इस प्रकार है :
- (क) चल परिसम्पत्ति के विवरण (मूल्य)

(संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को बताते हुए संयुक्त नाम में परिसम्पत्तियों को भी बताना होगा)

(त्रपुपत	स्वामित्व क विस्तार का ब	तात हुए संयुपत	गाग ग भारतान्य	रिराया पर्रा मा बरा	וויוס ווין	
क्रम	विवरण	स्वयं	पति / पत्नी	आश्रित—1	आश्रित–2	आश्रित–3
संख्या			का नाम	का नाम	का नाम	इत्यादि का नाम
1.	नकद					
2.	बैंक, वित्तीय संस्थानों					
	और गैर बैंकिग वित्तीय					
	कंपनियों में जमा धन					
	राशि					
3.	कंपनियों में बाँड,					
	डिबैन्चर और शेयर					
4.	अन्य वित्तीय साधनों					
	एन.एस. एस.; डाक					
	बचत ; एल.आई.सी.					
	पालिसी आदि ।					
5.	मोटर वाहन (कम्पनी					
	माडॅल आदि का					
	विवरण)					
6.	गहने (भार तथा कीमत					
	का विवरण दें)					
7.	अन्य परिसम्पत्तियां जैसे					
	दावे की कीमत/ब्याज					

टिप्पणी :सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में बाँड / शेयर / डिबेन्चर की कीमत, स्टाक एक्सचेंज की अध्यतन बाजार कीमत के अनुसार तथा गैर सूचीबद्ध कम्पनियों के मामलों में खातों के अनुसार दी जाए ।

- * आश्रित से तात्पर्य अभिसाक्षी अभ्यर्थी की आय पर वह व्यक्ति पूर्णतः आश्रित है ।
- (ख) अचल परिसम्पत्तियों का विवरण

(टिप्पणीः संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति में संयुक्त स्वामित्व के विस्तार का भी उल्लेख किया जाए)

क्रम	विवरण	स्वयं	पति / पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
संख्या			का नाम	का नाम	का नाम	इत्यादि का
						नाम
1.	कृषि भूमि					
	–स्थिति (स्थितियाँ)					
	–सर्वेक्षण संख्या					
	–विस्तार (कुल माप)					
	–वर्तमान बाजार कीमत					
2.	गैर कृषि भूमि					
	–स्थिति (स्थितियाँ)					
	–सर्वेक्षण संख्या					
	-विस्तार (कुल माप)					
	–वर्तमान बाजार मूल्य					
3.	भवन (व्यवसायिक और					
	आवासीय)					
	–स्थिति (स्थितियाँ)					
	<u>-सर्वेक्षण / दरवाजा</u>					
	नम्बर					
	–विस्तार (कुल माप)					
	–वर्तमान बाजार मूल्य					
4.	मकान / अर्पाटमेन्ट आदि					
	–स्थिति (स्थितियाँ)					
	_सर्वेक्षण / दरवाजा नम्बर					
	–विस्तार (कुल माप)					
	–वर्तमान बाजार मूल्य					
5.	अन्य (सम्पत्ति से ब्याज					
	आदि)					

3. मैं, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं और सरकारी देनदारियों को बकाया अपनी देयताओं / अति देयताओं का विवरण नीचे दे रहा हूँ :-

		10,		\	\sim		\sim	11.
(टिप्पणीः	क्तप्रशा	ਧਨੀਨ	ਸਟ	क	ਹਿਲੀ	थलग	ਨਿਨਿਹਾ	₹1
(10-41-11)	4/441	71(44)	.14	47	1612	OlGUT	14411	٧,

क्रम संख्या	विवरण	बैंक / वित्तीय	दिनांक को
		(संस्थान / संस्थानों)विभाग	बकाया राशि
		(विभागों) का नाम और पता	
क (1)	बैंक से ऋण		
(11)	वित्तीय संस्थानों से ऋण		
(111)	सरकारी देयताएँ:		
	(क) सरकारी आवास से संबंधित		
	विभाग की देयताएँ		
	(ख) जल-आपूर्ति विभाग की देयताएँ		
	(ग) विद्युत-आपूर्ति विभाग की देयताएँ		
	(घ) दूर-संचार विभाग की देयताएँ		
	(ड.) सरकारी परिवहन (हवाई जहाज		
	एवं हेलिकॉप्टर सहित)विभाग की		
	देयताएँ		
	(च) अन्य देयताएँ, यदि कोई हो		

क्रम संख्या	विवरण	बैंक / वित्तीय	दिनांक को
		(संस्थान / संस्थानों)विभाग	बकाया राशि
		(विभागों) का नाम और पता	
ख (1)	स्थाई खाता संख्या (PAN)		
(11)	पिछले कर निर्धारण वर्ष की आय–कर		
	रिटर्न		
(111)	पिछले कर–निर्धारण वर्ष की		
	सम्पत्ति–कर रिटर्न		
(1v)	पिछले वित्तीय वर्ष की बिक्री–कर		
	रिटर्न (केवल स्वामित्विक व्यवसाय के		
	लिए)		
(v)	पिछले वित्त-वर्ष का सम्पदा कर		
	(Property Tax)		

अभिसाक्षी

सत्यापन

	मैं, उपर्युक्त नाम का अभि रती हूँ कि इस शपथ पत्र की ा गलत नहीं है और कुछ भी व	विषय वस्तु मेरे विश्वास अं	गौर जानकारी में सत्य औ	हूँ, और यह घोषणा करता र सही है और इस का कोई
वर्ष	के	दिन को	स्थान प	र सत्यापित

अभिसाक्षी

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क के अधीन राजनीतिक दल का पंजीकरण {आवेदक दल के पदाधिकारियों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष) द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र}

	ا,	<i>पुत्र /</i> पुत्री / पत्नी	आयु	वर्ष, जो	
का / का	निवासी हूँ तथा	(दल का नाम)	का	(पदनाम) हूँ, सत	यनिष्ठा से प्रतिज्ञा
	/ करती हूँ / शपथपूर्वक क	हता हूँ।/कहती हूँ :-			
(जो लाग	ू हो न हो उसे काट दें)				
1.				राया गया हूँ / गई	हूँ अथवा मुझे नीचे
	विवरणानुसार निम्नलिखित				
(i)	मामला / प्रथम सूचना रि	पोर्ट संख्या / संख्याएं			
(ii)	न्यायालय, जिसके (जिनव	हे) द्वारा दोषी पाए जाने	संबंधी आदेश पारित	। किया गया ।	
(iii)	पुलिस थाना (थाने)		. जिला	(जिले)	राज्य
(iv)	संबंधित अधिनियम (अधि	नेयमों) की धारा (धाराएं]) और अपराध (अपर	ाधों) का संक्षिप्त वि	वरण जिसके
` ' .			•	,	वरण जिसके
` ' .		किया गया है			
(जिनके)	लिए अभिसाक्षी आरोपित वि तारीख (तारीखें) जिनको	किया गया है दंडादेश सुनाया गया थ	 । / सुनाए गए थे		

अथवा

2.

मेरे विरुद्ध नीचे दिये गये विवरणानुसार निम्नलिखित मामला / मामले लंबित है / हैं जिनका संज्ञान न्यायालय द्वारा लिया गया है :

- (i) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है :
- (ii) न्यायालय जिसने संज्ञान लिया :
- (iii) वाद संख्या :
- (iv) संज्ञान लेने के न्यायालय के आदेश की तारीख:
- (v) संज्ञान लेने वाले उपरोक्त आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षा आदि, यदि कोई हो, के लिए दायर की गई अपील/अपीलों, आवेदन/आवेदनों का विवरण :

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोइ तात्विक बात छिपायी नहीं गई है ।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर